वी, शंकरनारायण राव (मृतक) द्वारा उसके उत्तराधिकारी व अन्य

बनाम

लीलावती (मृत) द्वारा उसके उत्तराधिकारी व अन्य

11 मई, 2007

(न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू)

संपत्ति हस्तातंरण अधिनियम, 1882: बेनामी समव्यवहार का पुत्री द्वारा पिता की संपत्ति में हिस्से की मांग-भाइयों द्वारा इस आधार पर प्रतिरोध कि यह पिता की व्यक्तिगत संपत्ति है-हाईकोर्ट ने माना कि समव्यवहार बेनामी प्रकृति का था-अपील में निर्धारित किया गया कि उस व्यक्ति की ओर से जिसने संपत्तियांे की खरीद के लिए अग्रिम विचार किया था। समव्यवहार की प्रकृति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी-उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से मामले में विचार नहीं किया-मामले को उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचारित करने हेतु प्रेतिपे्रेषित किया गया।

वाद में सम्पत्ति 'जी' नामक व्यक्ति की थी जो मरते समय अपने पीछे तीन पुत्र-प्रतिवादी व एक पुत्री छोड़ गया। पुत्री ने वादी के रूप में

विभाजन का वाद अपने पिताजी की संपत्ति के 1/4 हिस्से हेतु वाद दायर किया। दौराने विचारण वाद दो भाइयोें की मृत्यु हो गई तथा उसने उत्तरदाताओं को अपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ दिया। प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर दावे का विरोध किया कि विवादित संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति थी।

विचारण न्यायालय ने वाद यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यद्यपि संपत्ति जी नामक व्यक्ति की खरीदशुदा थी जो उसके बेटों के लाभ के लिए और / या पारिवारिक व्यवस्था के लिए थी, जिससे समव्यवहार की प्रकृति बेनामी नहीं थी। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया।

इस न्यायालय में अपील मंे अपीलांट ने यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में प्रकट त्रुटि कारित की है कि 'जी' के द्वारा स्वयं की राशि से अचल संपत्ति अपने पुत्रों के नाम से खरीदी गई थी, इस आधार पर बेनामी समव्यवहार था।

इस न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय को मामले को पुनः प्रेतिपे्रेषित किया गया।

अभिनिर्धारित- समव्यवहार बेनामी है अथवा नहीं। यह बहुत से मापदण्डों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति द्वारा उस समव्यवहार को

खरीदा गया का उद्देश्य समव्यवहार के प्रति क्या था-दुर्भाग्यपूर्वक उच्च न्यायालय ने इस नजरिये से प्रश्न का निर्धारण नहीं किया-उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को प्रसारित करते समय विस्तृत तौर पर बेनामी समव्यवहार की प्रकृति के मापदण्डों को निर्धारित करने में अपने विचार में नहीं लिया।

ठाकुर भीमसिंह (मृतक) उसके उत्तराधिकारी व अन्य बनाम ठाकुर कानसिंह (1980) 3 एस.सी.सी. 72 व बिनापुरी पाॅल बनाम प्रतिमा घोष व अन्य, (2007) 6 स्केल 398, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2000 की सिविल अपील संख्या-7117

1991 के आर.एफ.ए. संख्या-220, कर्नाटक उच्च न्यायलय, बैंगलोर के अंतिम निर्णय दिनांक 26.02.1999 से।

अपीलार्थी की ओर से जी.वी. चन्द्रशेखर (पी.पी. सिंह) के लिए-प्रत्यर्थी की ओर से संजय कुमार दुबे (ए.एस. भासमे की ओर से)

जिनके द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गयाः-

न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, न्यायाधीश

1. वर्तमान उत्तरदाताओं के हित में पूर्ववर्ती लीलावती ने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया। वादग्रस्त संपत्ति 'जी' वेंकट राव की थी जो

दिनांक 18.10.1974 को मरते समय तीन पुत्रों को पीछे छोड़ गया। जो वी. शंकरनारायण राव, वी. सत्यमूर्ति व वी. सुरेन्द्रनाथ तथा एक पुत्री श्रीमती लीलावती थी।

2. मृतका शारदा बाई पत्नी जी वेंकट राव, वी. शंकरनारायण राव लगभग दिनांक 24.12.1995 को अपील में लम्बित रहने के दौरान मरे। श्री वी. सत्यमूर्ति लगभग दिनांक 10.10.1999 को मरते समय अपने पीछे एक पुत्र श्री निवास को छोड़ गये। वी. सुरेन्द्रनाथ प्रतिवादी संख्या-3 (अपीलार्थी) थे। वादी लीलावती भी अपील के लम्बित रहने के दौरान मर गई तथा विधिक उत्तराधिकारियों में प्रत्यर्थीयों को छोड़ गई। लीलावती ने दिनांक 24.03.1976 को वाद संख्या-43 जी वेंकट राव की अचल संपत्ति के 1/4 हिस्से के विभाजन के लिए दायर किया।

3. प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण इंकार करते हुए यह विवादित किया कि जी वेंकट राव ने अनुसूची के क्रम संख्या-1 (।) में वर्णित संपत्ति अपने नाम से खरीदी थी जो प्रतिवादी संख्या-3 की व्यक्तिगत संपत्ति थी। जिसे मद संख्या-1 (ठ) व 1 (ब्) प्रतिवादी संख्या-2 के नाम से थी तथा यह भी तर्क दिया गया कि संपत्तियां एकल रूप से उन्हीं के नाम से चली आ रही है। यहां तक कि तीन स्थायी जमाएं भी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। यह भी तर्क दिया गया कि एक संयुक्त बैंक खाता सिंडीकेंट बैंक, बैंगलोर में मृतक वेंकट राव व प्रतिवादी संख्या-2 के नाम से संधारित चला आ रहा

है वह केवल लघु राशि है। प्रतिवादी संख्या-3 के नाम से जमा है। जहां तक मद संख्या-3 का संबंध है के बारे में यह कहा गया कि ऋण या बकाया मृतक के नाम से बकाया नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि उसने और कोई ज्वेलरी मरने से पूर्व नहीं छोड़ी। जहां तक घरेलू सामान का सम्बन्ध है उसे मद संख्या-10,12,19,20,21 व 22 में वादी ने मूल्य निर्धारण चार सौ रुपये किया है जो विभाजन के लिए उपलब्ध है।

4. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विस्तृत विवाद्यकों की रचना की जो निम्न प्रकार हैः-

विवाद्यक संख्या-1

क्या वादी वादग्रस्त संपत्ति अनुसूची 1 से 5 में वर्णित चल व अचल संपत्ति को अपने पिता की स्वअर्जित होना साबित किया है।

विवाद्यक संख्या-2

क्या वादग्रस्त संपत्ति जिसे अनुसूची 1 (।) खालीस्थान जिसे संख्या-32/1 आगा अब्बास अली रोड़, सिविल स्टेशन, बैंगलोर प्रतिवादी संख्या-3 की स्वअर्जित संपत्ति है।

विवाद्यक संख्या-3

क्या मुकदमा अनुसूची 1 (ठ) खालीस्थान जिसमंे संख्या-32/1 आगा

अब्बास अली रोड़, सिविल स्टेशन, बैंगलोर प्रतिवादी संख्या-2 की स्वअर्जित संपत्ति है।

विवाद्यक संख्या-4

क्या अनुसूची 1 (ब) में वर्णित संपत्ति प्रतिवादी संख्या-1 की स्वअर्जित संपत्ति है।

विवाद्यक संख्या-5

क्या प्रतिवादीगण ने अनुसूची 2 बैंक जमा को प्रत्येक प्रतिवादीगण की व्यक्तिगत संपत्ति साबित माना है।

विवाद्यक संख्या-6

क्या अनुसूची की मद संख्या-10,12,19,20,21 व 22 जिसे पेज संख्या-5 की अनुसूची 5 में फर्नीचर के रूप में दिखाया गया है-चार सौ रुपये अधिक मूल्य नहीं है जो 138/ए परिसर (नया नंबर 6) आर्मस्ट्रोंग रोड़, सिविल स्टेशन, बैंगलोर में स्थित है।

5. विवाद्यक संख्या-1 का जवाब नकारात्मक रूप में दिया गया, विवाद्यक संख्या-2 से 6 का जवाब सकारात्मक रूप में दिया गया। विचारण न्यायालय ने अपनी राय में माना कि यद्यपि संपत्ति जी वेंकट राव की राशि से खरीदी गई थी किंतु उसने अपने पुत्रों के

लाभार्थ/पारिवारिक व्यवस्था के लिए खरीदी थी जो बेनामी समव्यवहार की प्रकृति में नहीं थी।

6. सिवाय घरेलू सामान, अनूसूची 1 से 5 के फिर भी विभाजन के वाद को खारिज कर दिया गया।

7. वादी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश दिनांक 26.02.1999 के निर्णय व डिक्री को जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई थी, अपास्त कर दिया गया। जिसमें विचारण न्यायालय ने संपत्तियां मूल प्रतिवादियों के नामित मानी थी। विचाराधीन लेन-देन बेनामी प्रकृति का मानते हुए उनकी राय में वाद की परिस्थितियों को देखते हुए वादी का 1/4 हिस्सा विरासतीय था।

8. श्री जी.वी. चन्द्रशेखर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से तर्क पेश करते हुए निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कि जी वेंकट राव द्वारा अचल संपत्ति के खरीद के प्रतिफल स्वरूप दी गई राशि जो अपने तीन पुत्रों के नाम से थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त आधार कि विवादित समव्यवहार बेनामी प्रकृति का था प्रकट त्रुटि कारित की है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित संपत्ति को अपने पुत्रों के लाभार्थ खरीदने/पारिवारिक व्यवस्था के उद्देश्य से खरीदने के तथ्य को उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में ठाकुर भीमसिंह (मृतक) व उसके उत्तराधिकारी व अन्य बनाम ठाकुर कानसिंह

(1980) 3, एस.सी.सी.72 पर विशेष रूप से जोर दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि विचारण न्यायाधीश ने अन्य विवाद्यकों को विनिश्चय करने में बहुत मेहनत की जो पक्षकारों के मध्य अन्य विवाद्यकों को तय करने में सुसंगत थी। जिससे कि समव्यवहार बेनामी प्रकृति का था तथा मूल प्रतिवादीगण के लाभार्थ निष्पादित किया गया था। जिसे न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया गया। इसकी पृष्ठभूमि में श्री चन्द्रशेखर के अनुसार वादी अपने विवाह के कुछ माह पश्चात् ही अपने माता-पिता के घर आ गई थी और अपने पति के साथ रह रही थी और उन्हंे अपने घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी तथा व्यापार को शुरू करने के लिए भी मृतक जी वेंकट राव के पास पर्याप्त कारण था कि वे अपने प्रत्येक बच्चे के लिए कुछ करना चाहते थे। इन प्रत्येक घटनाक्रम को उच्च न्यायालय ने जी वेंकटराव के संपत्ति खरीदने के आशय को उनके पुत्रों के नाम से खरीदने के आशय से दरकिनार कर दिया। जो निर्णय स्थिर रखने योग्य नहीं है। इस संबंध में हमारा ध्यान इन तथ्यों की तरफ आकर्षित किया। यद्यपि विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों को कि स्थायी जमा रसीद भी प्रतिवादीगण के संयुक्त बैंक खाते के नाम से ली गई थी व संचालन शामलाती रूप से किया गया था। जिसे उच्च न्यायालय ने अपने विचारण में लेने में ध्यान नहीं दिया। पारिवारिक आभूषणों का विभाजन नहीं किया गया था किंतु उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी बिल्कुल विचार नहीं किया।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

10. विचारण न्यायालय ने काफी विवाद्यकों का विरचन किया। विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को भी विचारण करने में काफी मेहनत की।

11. यह आधारित सिद्धांत कि कोई समव्यवहार बेनामी प्रकृति का है अथवा नहीं बहुत से तथ्यों पर निर्भर करता है। उनमें से कुछ तथ्यों का ध्यान ठाकुर भीमसिंह (मृतक) उसके उत्तराधिकारी व अन्य बनाम ठाकुर कानसिंह (1980) 3, एस.सी.सी.72 में इस न्यायालय ने निम्न शर्तों का निर्धारण किया है।

यह सिद्वांत कि कोई समव्यवहार बेनामी प्रकृति का अंतरण है अथवा नहीं का विनिश्चय इस प्रकार किया जाता है

1. इस तथ्य के सबूत का भार कि बेनामी समव्यवहार है, उस व्यक्ति पर है जो उस समव्यवहार के बारे में ऐसा होना कहता है।

2. यह साबित कर दिया जाता है कि खरीददार के पास पैसा उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति के माध्यम से आया जिसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया गया। ऐसी खरीद के समव्यवहार को उस व्यक्ति के पक्ष में माना जाएगा जिसने प्रतिफल राशि अदा की जब तक कि उसके विपरीत साक्ष्य

को साबित नहीं कर दिया जाए।

3. सही लेन-देन की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के आशय से निर्धारित होता है। जिसने प्रतिफल की राशि अदा की।

4. इस प्रश्न का निर्धारण करने में उस समव्यवहार की परिस्थितियां पक्षकारान के सम्बन्ध, आशय तथा पश्चात्वर्ती आचरण सुसंगत होता है।

इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा बिनापुरी पाॅल बनाम प्रतिमा घोष व अन्य, (2007) 6 स्केल 398 में भी निर्धारित किया गया।

उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने विशेष तौर पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि उन तथ्यों को जिनका आशय जिस व्यक्ति द्वारा समव्यवहार के प्रतिफल की राशि अदा की गई समव्यवहार की प्रकृति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुर्भाग्यपूर्वक उच्च न्यायालय ने इस नजरिये से निर्धारित नहीं किया है। उच्च न्यायलय ने अपने निर्णय को पारित करते समय इन तथ्यों को अपने विचार में नहीं लिया कि इन समव्यवहारों में अंकित तथ्य का प्रभाव समव्यवहारों की प्रकृति पर किस प्रकार पड़ता है? जिससे कि बेनामी समव्यवहारों की प्रकृति को निर्धारित किया जा सके।

12. उच्च न्यायालय ने इन सभी परिस्थितियों के प्रश्नों को विस्तृत रूप से निर्धारण करने में विचार में नहीं लिया। हमारे मत में इन तथ्यों व

परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय का विवादित आदेश को अपास्त करते हुए मामले को पुनः उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचारित करने के आशय से न्यायहित में प्रतिप्रेषित किया जाता है। चूंकि मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना है, इसलिए हमने संपत्ति की अन्य वस्तुओं के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार नहीं किया जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अलग-अलग निष्कर्ष निकाले गए। हम सुनिश्चित है कि उच्च न्यायालय इन प्रश्नों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण सिद्धांतों की तरफ ध्यान देगा।

13. उपरोक्त कारणों से विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। मामले को पुनः उच्च न्यायालय को नए सिरे से निस्तारित करने हेतु प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर प्रतिपे्रषित किया जाता है। हालांकि इस पर कोई हर्जे के बारे में आदेश पारित नहीं किया जाता है।

डी.जी।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गोविन्द अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।